राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोकुलचन्द बनाम लक्ष्मण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
432/2016		

30/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

07/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी तरमीम नक्शा मिलन क्षेत्रफल सीमा ज्ञान, रकबा निश्चयकरण व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 के पूर्वज नानगा तथा वादी संख्या 2 व 3 तथा वादी संख्या 4 लगायत 9 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पूर्वज भैरू ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ अनवानी नानगा वगै. बनाम लक्ष्मण वगै. न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट 'शाहपुरा जिला जयपुर के यहां मुकदमा नम्बर-42/1994 दायर किया था जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.05.1994 को निर्णय करते हुये उक्त वाद के वादीलगण को हाल खसरा नम्बर 698 रकबा 2. 46 है. वाकै ग्राम मैड मे से 0.62 है. (पूर्वी कोने) का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया गया था तथा उक्त र परा नम्बर की शेष भूमि 1.84 है. प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में रहने की आज्ञा दी गयी थी इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकरी पारित करते हुये उसे उक्त वाद में वादीगण के खसरा नम्बर 699, 700, 698, रकबा 0.62 है. (पूर्वी कोने) वाकै ग्राम मैड के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने तथा इस भूमि से ट्रैक्टर वगै. से मिट्टी नहीं हटाने वगै. ही बाबत पाबन्द फरमाया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकरी दिनांक 04.05.1994 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिव..ी जयपुर के यहां अपील दायर की थी जो दिनांक 19.07.97 को आंशिक रूप से स्वीकार के साथ रिमाण्ड फरमाया गया था कि वे प्रतिवादीगण को जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका देकर तथा यदि आवश्यकता हो तो तहसीलदार से सम्बन्धित स्त्रोतो की पैमायश करवाई जावे दोनो पक्षो को सुनवाई क पूरा अवसर दिये जाने के बाद गुणा वगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे तथा दोनो पक्षों की अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हेतु तारीख पेशी 19.8.97 नियत की गयी थी। 3. वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित एवं नियत तारीख पेशी को उभय पक्षो मे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोकुलचन्द बनाम लक्ष्मण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	432/2016	

कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही मूल पत्रावली अपीलेट कोर्ट से लौटकर आयी तत्पश्चात पत्रावली अपीलेट कोर्ट से प्राप्त होने पर दिनांक 21.11.97 को पेशी मे ली जाकर, तलवी पक्षकारान में नियत की गयी दिनांक 17.08.99 की तारीख पेरी के नोटिस इंकारी से लौटाने पर दिनांक 03.12.99 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी व बहस में नियत की गयी न्यायालय हाजा एस.डी.ओ. विराटनगर का सृजन होने पर एस.डी.ओ. विराटनगर से उक्त पत्रावली ट्रांसफर की जाकर दिनांक 15.07.2002 को एस.डी.ओ. विराटनगर के यहां पेश हुई उक्त न्यायालय ने दिनांक 03.09.2002 को बाद सुनवाई बहस पूर्व के निर्णय एवं डिकरी दिनांक 04.05.94 की पुष्टि कर ली जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देने के फलस्वरूप अन्तिम होकर उक्त निर्णय रैसजुडीकेटा की श्रेणी में आता है तथा उभय पक्षो उक्त मुकदमा तथा उनके वंशजो पर उक्त निर्णय एवं डिकरी बाध्यकारी है तथा कानूनन रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त निर्णय के विपरीत अन्य कोई प्रतिकूल स्थिति प्रकट करने से एस्टोपड है । वादीगण एवं उनके पूर्वज अपने जीवन काल में तरतीबी प्रतिवादीगण सहित प्रश्नगत आराजी हाल खसरा नम्बर 698 रकबा 0. 62 है० ग्राम मैड वर्णित खण्ड संख्या 2 वाद पत्र का मय अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि हाल खसरा नम्बर 699,700 वाकै ग्राम मैड तहसील विराटनगर की काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करते आ रहे है परन्तु वाद पत्र की खण्ड संख्या 3 में वर्णित निर्णय एवं डिकरी का वादीगण व उनके पूर्वज के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं कराने का अनुचित लाभ उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 ने जानबुझकर स्वंय तथा अपने परिवारजनो को सदोष लाभ पहुंचाने तथा वादीगण को सदोष हानि कारित करने की गर्ज से प्रश्नगत भूमि हाल खसरा नम्बर 698 कुल रकबा 2.46 है. वाकै ग्राम मैड के हिस्से 2/3 के नुमायशी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रवधु है उनके हक में नाजायज रूप से अदालत श्रीमान् द्वारा पारित डिकरी एवं निर्णय के विरूद्ध करा दिया तथा उक्त नुमायशी विक्रय पत्र के तहत नान्तकरण संख्या 211 खुलवा लिया उक्त विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण हाल खसरा नम्बर 698 रकब 0.62 है. वाकै ग्राम मैड तहसील विराटनगर की हद तक प्रारम्भ से ही प्रभावहीन एवं शुन्य (नल एण्ड वाइड) है तथा उन्हें प्रस्तुत वाद में अपास्त फरमाया जाना उचित एवं आवश्यक है उक्त विक्रय पत्र एवं नामान्तकरण से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के खातेदारी हक हकूंक किसी भी कदर प्रभावित नहीं होते है तथा वे बदस्तुर आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 698

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोकुलचन्द बनाम लक्ष्मण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

432/2016

रकबा 0.62 है. (पूर्वी कोने) वाकै ग्राम मैड पर काबिज रहकर उपयोग तथा उपभोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुध्द एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/06/2016 पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी तरमीम नक्शा मिलान क्षेत्रफल सीमाज्ञान रकबा निश्चयकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर पत्रावली के जवाब दावे हेतु नियत होने के उपरान्त भी पत्रावली को राजस्व कैम्प मैड में नियत कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को प्रारम्भिक स्तर पर ही ख़ारिज फरमा दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों को सर्वथा विपरित स्पष्ट होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में विधिक त्रुटी प्रतीत होने से उन्हें निरस्त किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/05/2026 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी